



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 27 फरवरी, 2025

थाना सिकन्द्राबाद

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त अवैध चाकू सहित गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 22.02.2025 को एक युवती द्वारा थाना सिकन्द्राबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्त सुफियान से फेसबुक पर उसकी जान पहचान हो गयी थी। सुफियान द्वारा उसके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया है तथा उसकी अश्लील वीडियो बना ली गयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-182/25 धारा 69 बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

उक्त के क्रम में थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त अभियुक्त सुफियान को आज दिनांक 27.02.2025 को अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 202/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

- 1- सुफियान पुत्र रहीश निवासी मौ0 गद्दीवाडा कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1. 01 अवैध चाकू

गिरफ्तार अभियुक्त सुफियान का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 182/25 धारा 69 बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 202/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री अनिल कुमार शाही प्रभारी निरीक्षक सिकन्द्राबाद
2. उ0नि0 सोनू बाबू उ0नि0 मंजीत कुमार,
3. है0का0 गजेन्द्र सिंह, है0का0 अंकित शर्मा



मीडिया सेल बुलंदशहर